दिनांक : 23/05/2023

एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी पत्र क्रमांक D.O.No.1-6/2007(CPP-II)(New)Pt.II, दिनांक : 10 जनवरी 2023 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय में एक साथ दो कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार नियम लागू होंगे –

1. विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों की ही पवेश एवं परीक्षा कार्य संपादित होगी।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गाईडलाईन पत्र क्रमांक D.O.No.1-6/2007(CPP-II)(New), दिनांक : 10 जनवरी 2023 अनुसार ही प्रवेश दिये जायेंगे एवं पाठ्यक्रम संपादित किये जायेंगे।
3. विद्यार्थी यदि चाहे तो वह दो फुल टाईम एकेडमिक कार्यक्रम नियमित माध्यम से कर सकता है, बशर्ते कि दोनों कार्यक्रम की कक्षा समय–सारणी एक दूसरे पर अधिरोपित ना हो।
4. विद्यार्थी चाहे तो दो अकादमी कार्यक्रम एक साथ कर सकते हैं, जिसमें की एक कार्यक्रम नियमित माध्यम से एवं दूसरा कार्यक्रम अन्य माध्यम से संपादित होगा।
5. विद्यार्थी पीएच.डी. जैसे शोध कार्यक्रमों के साथ अन्य कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएगा।
6. दो कार्यक्रम एक साथ करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रारूप में दो अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इसके लिए निर्धारित घोषणा पत्र भी भर कर जमा करना होगा।
7. विद्यार्थी एक साथ दो कार्यक्रम करने की स्थिति में दोनों ही कार्यक्रम का निर्धारित शुल्क जमा करेगा।
8. दो कार्यक्रम एक साथ नियमित माध्यम से करने की स्थिति में छात्रवृत्ति का निर्णय राज्य शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
9. विश्वविद्यालय के अंदर ही दो कार्यक्रम करने वाल विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र एवं गेप सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो तो) जमा करना होगा। दोनों कार्यक्रम के लिए एक नामांकन नंबर जारी किए जाएंगे एवं दो अलग–अलग रोल नं. जारी होंगे।
10. एक साथ दो कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो कि, अपना पहला कार्यक्रम किसी अन्य विश्वविद्यालय से कर रहे हो उनका विश्वविद्यालय में दूसरे समानांतर कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तों के अनुरूप होगा।
11. एक साथ दो कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका पहला कार्यक्रम किसी अन्य विश्वविद्यालय से चल रहा है, उनका विश्वविद्यालय में दूसरे समानातर कार्यक्रम में प्रवेश के लिये, पूर्व कार्यक्रम संबंधी निर्धारित घोषणा प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक होने पर पूर्व कार्यक्रम से संबंधित विश्वविद्यालय से सहमति कम अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। दूसरे विश्वविद्यालय से समानांतर पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि, उनकी कक्षा समय–सारिणी एक दूसरे से अधिरोपित ना हो रही हो।

दिनांक : ....

एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु

घोषणा पत्र

1. विद्यार्थी का नाम :–...

2. पिता का नाम :–...

3. माता का नाम :–...

4. वर्तमान पता :–...

....

....

5. फोन नं. :–...

6. ईमेल आई–डी :–...

7. पहले कार्यक्रम का विस्तृत विवरण :–

   – पाठ्यक्रम नाम :– ....

   – सत्र :– ....

   – पंजीयन क्रमांक :– ....

   – नामांकन क्रमांक :– ....

   – अवधि :– ....

   – माध्यम (नियमित / स्वाध्यायी / :– ....

     दूरवर्ती शिक्षा / ऑनलाईन) ....

   – महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का नामः– ....

     ....

– स्थानांतरण प्रमाणपत्र/चरित्र प्रमाण पत्र :– ....

/ प्रवजन प्रमाण पत्र

– संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कक्षा :–

समयसारिणी कालखंड का विवरण

8. दूसरे कार्यक्रम का विस्तृत विवरण :–

पाठ्यक्रम नाम :– ....

सत्र :– ....

शैक्षणिक योग्यता :– ....

माध्यम :– ....

<u>घोषणा प्रपत्र</u>

मै. ...., पिता श्री ...., पाठ्यक्रम .... में सत्र .... में एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम .... में प्रवेश लेना चाहता हूँ, यदि कक्षा समय सारणी एक दूसरे पर अधिरोपित होती है या उपर दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो पूरी जवाबदारी मेरी होगी, विश्वविद्यालय जो भी निर्णय लेगा मुझे मान्य होगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय की नियम–शर्तें/दिशा–निर्देश मुझे मान्य होगा।

अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर